



2026:AHC:21848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1293 वर्ष 2026

अशोक कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: हितेश कुमार श्रीवास्तव

: सी.एस.सी.

न्यायालय नं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हितेश कुमार श्रीवास्तव ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें दिनांक 12.1.2026 (वित्तीय वर्ष 2017-18) को प्रत्यर्थी संख्या 3 जिला विकास अधिकारी, जिला सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित तीन वसूली आदेशों को अपास्त करने के लिए चुनौती दी गई है तथा उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करने, एवं याचिकाकर्ता को नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार, वर्तमान याचिका विधिवत गठित नहीं की गई है।

2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"